राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

क्रमांक प. 20(84) प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट जयपुर, दिनांकः 12/10/18

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंजीयन अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करनें के लिए शुल्क निर्धारित है, एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए भी शुल्क निर्धारित है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शुल्क काफी कम है, शुल्क में अंतर का फायदा उठाने के लिए लोग पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते है, जिससे राजस्व की हानि होती है।

विभाग द्वारा विधि विभाग से इस सम्बन्ध में राय प्राप्त की गई। विधि विभाग द्वारा निम्न राय प्रदान की गई हैः–

"यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु ,कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपी लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू न होकर, उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें। "

अतः समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधि विभाग की उक्त राय के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक।
7. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या........6068
दिनांक........23/10/18

परिपत्र की छाया प्रति आयुक्त कॉलेज शिक्षा को भिजवाया जाना उचित होगा। आदेशार्थ।

सूचना का अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-II 2253-2260 दिनांक– 18-12-18

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 12–10–18 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें :–

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 12–10–18 के संदर्भ में।
3. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान (विधि महाविद्यालयों सहित)।
8. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(राजेन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त